प्रधानमंत्री आवास योजना (**PMAY**) के सफल कार्यान्वयन हेतु दिनांक–23.09.2019 मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में सम्पन्न "राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति **(SLSMC)** की 17$^{वीं}$ बैठक की कार्यवाही।

अनुपस्थिति :– संलग्न

केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) झारखण्ड राज्य में जून, 2015 से क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वर्ष–2022 तक सभी आवास विहीन शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना है। वर्त्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) राज्य के सभी शहरी निकायों में क्रियान्वित है।

योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में गठित "राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति State Level Sanctioning and Monitoring Committee (SLSMC) की 17$^{वीं}$ बैठक में निम्न प्रस्ताव पर अनुमोदन दिया गया :–

2649
24/10/19

<u>प्रस्ताव सं० 1</u> –गत बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि की गई। (परिशिष्ट "क")

<u>प्रस्ताव सं0 2 –</u> योजना के चतुर्थ घटक ''लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण'' हेतु राज्य के 17 शहरी स्थानीय निकायों के 8374 आवासों के निर्माण हेतु निकायवार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन **(DPR)** भारत सरकार को भेजने हेतु अनुमोदन।

योजना के चतुर्थ घटक ''लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण'' हेतु वित्तीय वर्ष 2019–2020 (Ph-II) में राज्य के 17 शहरी स्थानीय निकायों के 8374 आवासों के निर्माण हेतु निकायवार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) प्राप्त हुये हैं, जिस पर State Level Appraisal Committee (SLAC) का अनुमोदन प्राप्त है। प्रस्तावित 8374 आवासों के निर्माण की कुल परियोजना राशि 30322.25 लाख रूपये है।

निकायवार लाभुकों की संख्या एवं अंशदान की विवरणी निम्नवत् है:–

| Sl. No. | ULB | No. of Beneficiary | Central Share @ Rs.1.5 Lakh | State Share @ Rs. 0.75 Lakh | Beneficiaries' Contribution @ Rs. 1.371 Lakh | Total Project Cost (in Lakhs) | Unit Cost per DU (in Lakhs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chhatarpur | 790 | 1185.00 | 592.50 | 1083.09 | 2860.59 | |
| 2 | Deoghar | 1295 | 1942.50 | 971.25 | 1775.445 | 4689.20 | |
| 3 | Godda | 689 | 1033.50 | 516.75 | 944.62 | 2494.87 | |
| 4 | Madhupur | 200 | 300.00 | 150.00 | 274.20 | 724.20 | |
| 5 | Mango | 16 | 24.00 | 12.00 | 21.936 | 57.94 | |
| 6 | Majhiaon | 309 | 463.50 | 231.75 | 423.639 | 1118.89 | |
| 7 | Ramgarh | 10 | 15.00 | 7.50 | 13.71 | 36.21 | |
| 8 | Chas | 450 | 675.00 | 337.5 | 616.95 | 1629.45 | |
| 9 | Seraikela | 21 | 31.50 | 15.75 | 28.791 | 76.04 | 3.621 |
| 10 | Gumla | 350 | 525.00 | 262.50 | 479.85 | 1267.35 | |
| 11 | Hussainabad | 208 | 312.00 | 156.00 | 285.17 | 753.17 | |
| 12 | Giridih | 3029 | 4543.50 | 2271.75 | 4152.76 | 10968.01 | |
| 13 | Rajmahal | 48 | 72.00 | 36.00 | 65.81 | 173.81 | |
| 14 | Dumka | 296 | 444.00 | 222.00 | 405.82 | 1071.82 | |
| 15 | Basukinath | 25 | 37.50 | 18.75 | 34.28 | 90.53 | |
| 16 | Jhumritelaiya | 443 | 664.50 | 332.25 | 607.35 | 1604.10 | |
| 17 | Bundu | 195 | 292.50 | 146.25 | 267.35 | 706.10 | |
| **Total** | | **8374** | **12561.00** | **6280.5** | **11480.75** | **30322.25** | |

अतः लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र (7C) पर वांछित सूचना के साथ–साथ DPRs भारत सरकार को उपलब्ध कराए जाने हेतु समिति का अनुमोदन दिया गया।

प्रस्ताव सं० 3 – **PMAY(U)** के प्रथम घटक 'स्व स्थाने स्लम पुनर्विकास" **(ISSR)** अन्तर्गत राज्य के विभिन्न निकायों के परियोजनाओं हेतु स्वीकृत **DPRs,** के संशोधन पर अनुमोदन।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्रथम घटक ''स्व स्थाने स्लम पुनर्विकास'' अन्तर्गत राज्य के विभिन्न निकायों के कुल 15517 आवासीय परियोजनाएं (G+4 प्रारूप पर) की स्वीकृति भारत सरकार की विभिन्न CSMC बैठकों में प्राप्त की गयी थी।

योजना के प्रथम घटक के क्रियान्वयन हेतु विभागीय संकल्प संख्या–5381 दिनांक–02.11.2018 निर्गत किया गया है साथ ही परियोजना अंतर्गत आवासों के निर्माण हेतु आवश्यकतानुसार भूमि चिन्हित की गयी थी, किन्तु उक्त भूमियों के सीमांकन/हस्तांतरण के क्रम में उपलब्ध भूमि में बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी हुई है। फलस्वरूप परियोजनाओं के DPRs निम्न बिन्दुओं के आधार पर संशोधित किया गया है –

- आवास का निर्माण G+3/G+6/ G+8 के Model में किया जाना है जो कि पूर्व से स्वीकृत DPR, G+4 प्रारूप पर था जिसमें लिफ्ट का प्रावधान नहीं था।
- कुल स्लम पुनर्विकास परियोजना भूमि के 50% हिस्से पर किए जाने तथा 50% भूमि सफल विकासकर्त्ता को आवंटित किए जाने का प्रावधान था जिसे बदलकर कुल स्लम पुनर्विकास परियोजना भूमि का 55% पर स्लम का पुनर्विकास किया जाएगा एवं 45% भूमि सफल विकासकर्त्ता को आवंटित किए जाने का प्रावधान किया गया ताकि अधिक से अधिक विकासकर्त्ता परियोजनाओं के निर्माण में भाग ले सके।

योजनाओं की कुल तकनीकी अनुमोदित राशि 53876.96/– (पांच सौ अड़तीस करोड़ छिहत्तर लाख छियानबे हजार रूपये) मात्र है, जिस पर मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या–301 दिनांक–11.03.2015 के आलोक में समिति द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सहमति दी गयी। संशोधित परियोजना विवरणी निम्नवत् है :–

| ULB | Project Location | पूर्व में G+4 प्रारूप पर स्वीकृत DUs की विवरणी | | | | | | वर्त्तमान में G+3/ G+6/ G+8 प्रारूप पर प्रस्तावित DUs | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CSMC No. | Sanctioned DUs | EWS Area Acres | Developer Area Acres | Project Cost | Project Location | DUs Proposed | EWS Area Acres | Developer Area Acres | Project Cost | Cost / DU | Model | Insitu/Relocation |
| Gumla | Chetar | 29th | 75 | 0.66 | 0.66 | 813.00 | Chetar | 75 | 0.72 | 0.58 | 566.59 | 7.55 | G+3 | Rel |
| Khunti | Jamwadag | 29th | 420 | 2.29 | 2.29 | 3835.00 | Jamwadag | 360 | 2.40 | 1.96 | 2599.29 | 7.22 | | |
| Hazaribgh | Gadikhana | 29th | 220 | 1.25 | 1.25 | 5649.00 | Gadikhana | 128 | 0.73 | 0.59 | 1081.24 | 8.45 | G+8 | Insitu |
| Chakradharpur | Harijan Basti | 34th | 48 | 0.30 | 0.30 | 1137.29 | Harijan Basti | 60 | 0.32 | 0.28 | 466.30 | 7.77 | G+3 | |
| Chakulia | Hatchali & Sugnibasa | 34th | 180 | 0.90 | 0.90 | 3724.30 | Hatchali & Sugnibasa | 200 | 0.99 | 0.81 | 1385.64 | 6.93 | | Rel |
| Pakur | Devpur | 34th | 260 | 1.83 | 1.83 | 4192.99 | Devpur | 160 | 1.82 | 1.49 | 1130.12 | 7.06 | | |
| Deoghar | Hardlakund | 34 | 700 | 4.84 | 4.84 | 11103.10 | Hardlakund | 100 | 0.96 | 0.79 | 717.95 | 7.18 | | Insitu |
| | Sundari | | | | | | | | | | | | | |
| Garhwa | Sonpurwa | 29th | 160 | 1.00 | 1.00 | 4006.00 | Sonpurwa | 120 | 1.10 | 0.90 | 830.82 | 6.92 | | Rel |
| Ranchi | Anni | 29th | 8720 | 45.25 | 45.25 | 190760.0 | Tirl | 2119 | 13.17 | 10.78 | 21016.34 | 9.92 | G+6 | Both |
| | | | | | | | Labed | 2401 | 14.89 | 12.20 | 24082.67 | 10.03 | | |
| | | | 10783 | | | 225220.68 | | 5723 | | | 53876.96 | | | |

अतः "स्व स्थाने स्लम पुनर्विकास" हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र (7A) पर वांछित सूचना के साथ–साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPRs) भारत सरकार को उपलब्ध कराए जाने हेतु समिति का अनुमोदन दिया गया।

<u>प्रस्ताव सं० 4</u> – डोमचांच नगर पंचायत अंतर्गत **PMAY(U)** के चतुर्थ घटक के तहत स्वीकृत **DPR** के 7C के संशोधित पर अनुमोदन।

डोमचांच नगर पंचायत अंतर्गत PMAY(U) के DPR (1018 लाभुक) की स्वीकृत भारत सरकार की 44वीं CSMC (दिनांक–28.06.2019) में प्राप्त हुई थी। स्वीकृत DPR के Annexure 7C में लाभुकों के वर्गीकरण में संशोधन हेतु निकाय से अनुरोध किया गया है जिसका वर्गीकरण निम्नवत् है :–

2649
24/10/19

| CSMC | Male | Female | Total | Gen | SC | ST | OBC | Minority |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44th CSMC बैठक में स्वीकृत 7C के अनुरूप वर्गीकरण | 712 | 306 | 1018 | 134 | 100 | 02 | 782 | 26 |
| संशोधित 7C का वर्गीकरण | 280 | 738 | 1018 | 130 | 93 | 02 | 793 | 28 |

अतः उपरोक्त वर्गीकरण के आधार पर संशोधित 7C भारत सरकार को उपलब्ध कराए जाने हेतु समिति का अनुमोदन दिया गया।

<u>प्रस्ताव सं० 5</u> – **PMAY(U)** के प्रथम घटक "स्व स्थाने स्लम पुनर्विकास" के तहत राज्य के हुसैनाबाद् शहरी स्थानीय निकाय के 300 आवासों के निर्माण हेतु नये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (**DPR**) भारत सरकार को भेजने हेतु अनुमोदन।

योजना के प्रथम घटक "स्व स्थाने स्लम पुनर्विकास" अन्तर्गत राज्य के नगर निकाय हुसैनाबाद् क्षेत्राधीन कुल 300 नये आवासों के निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) JUIDCO Ltd. से प्राप्त हुई है। उक्त DPR पर मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा तकनीकी अनुमोदन प्रदान की गयी एवं State Level Appraisal Committee (SLAC) का अनुमोदन प्राप्त है।

प्रस्तावित परियोजनओं अंतर्गत आवासों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता राशि 1 लाख रूपये प्रति आवास होगी, राज्यांश की राशि 1 लाख रूपये प्रति आवास तथा शेष लाभुक 1.5 लाख अंशदान होगा। योजनाओं की कुल तकनीकी अनुमोदित राशि 2035.10 /- (बीस करोड़ पैतीस लाख दस हजार रूपये) मात्र है, परियोजना विवरणी निम्नवत् है:–

| ULB | Project Location | Dus proposed | EWS Area | Developer Area | Project Cost (in Rs. Lakhs) | Model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acres | Acres | | |
| Hussainabad | Japla Choubey | 300 | 2.20 | 1.80 | 2035.10 | G+3 |

भारत सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र (7A) पर वांछित सूचना के साथ–साथ निकायवार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPRs) भारत सरकार को उपलब्ध कराये जाने पर समिति का अनुमोदन दिया गया।

<u>प्रस्ताव सं० 6</u> – योजना के तृतीय घटक "भागीदारी में किफायती आवास का निर्माण" हेतु राज्य के 2 शहरी स्थानीय निकायों के 140 आवासों के निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (**DPR**) के संशोधन हेतु अनुमोदन।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तृतीय घटक अन्तर्गत मिहिजाम एवं जुगसलाई नगर परिषद् क्षेत्र के कुल 160 आवासों के निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार की 34th CSMC की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

योजना कार्यान्वयन हेतु विभागीय संकल्प– 5382, दिनांक–02.11.2018 निर्गत किया गया है, साथ ही परियोजना अंतर्गत आवासों के निर्माण हेतु आवश्यकतानुसार भूमि चिन्हित की गयी थी, किन्तु उक्त भूमियों के सीमांकन/हस्तांतरण के क्रम में उपलब्ध भूमि में बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी हुई है।

फलस्वरूप तृतीय घटक के तहत स्वीकृत परियोजना को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है। योजनाओं की कुल तकनीकी अनुमोदित राशि 11,47,89,000/- (ग्यारह करोड़ सैतालिस लाख नवासी हजार रूपये) मात्र है, जिस पर मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या–301, दि०–11.03.2015 के आलोक में समिति द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सहमति दी गयी। संशोधित परियोजना विवरणी निम्नवत् है :–

(in Rs. Lakhs)

| ULB | पूर्व में G+4 प्रारूप पर स्वीकृत DUs की विवरणी | | | | | वर्त्तमान में G+3/ G+6/ G+8 प्रारूप पर प्रस्तावित DUs | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Project Location | CSMC No. | Sanctioned DUs | Project Area (Acres) | Project Cost | DUs Proposed | EWS Area Acres | Project Cost | Cost / DU | Model | Community Centre |
| Mihijam | Kangoi (Leprsy Colny) | 34th | 64 | 1.00 | 599.20 | 60 | 1.00 | 550.80 | 9.18 | G+1 | Outside |
| Jugsalai | Harijan Basti | | 96 | 0.53 | 719.34 | 80 | 0.53 | 597.09 | 7.46 | G+3 | Outside |
| **Total** | | | **160** | | **1319.0** | **140** | | **1147.89** | | | |

अतः भारत सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र (7B) पर वांछित सूचना के साथ–साथ DPRs भारत सरकार को उपलब्ध कराये जाने पर समिति का अनुमोदन दिया गया।

**<u>प्रस्ताव 7–</u> राजीव आवास योजना अन्तर्गत चास नगर निगम के माझीडीह में निर्मित 128 आवास, (G+4 प्रारूप पर) के आवंटन हेतु अनुमोदन।**

चास नगर निगम के माझीडीह अन्तर्गत कुल 128 आवास, (G+4 प्रारूप पर) राजीव आवास योजना अन्तर्गत निर्मित हैं जिनमें से 44 आवासों का आवंटन राष्ट्रीय राजमार्ग–32 चौथीकरण के दरमियान 44 विस्थापित योग्य लाभुकों को किया जा चुका है। शेष 84 आवासों का आवंटन, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तृतीय घटक/प्रथम घटक के तहत योग्य लाभुकों को किये जाने के संबंध में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव संचिका के माध्यम से सभी विवरणी सहित अनुमोदन हेतु अलग से प्रेषित की जाए।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई सम्पन्न की गई।

कार्रवाई पर मा० मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त 24/10/19

(डी० के० तिवारी)
सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञापांकः– 07/न०प्र०नि०/PMAY(HFA)/01/2015.2649... राँची/दिनांक:24/10/19

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/बैठक में उपस्थित सभी सदस्यगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।